INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

IRJMSH

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

राजस्थान में पहचान की राजनीति

डॉ. अशोक मूलवानी,
सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा।

प्रस्तावना –

विविधताओं से भरपूर राजस्थान में पहचान की राजनीति का मुख्य आधार जाति, भाषा, धर्म और हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है, जो सत्ता के समीकरणों को निर्धारित करती है। जाति राजस्थान की राजनीति की आधारशिला है और ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य पर उच्च जातियों का ही प्रभाव रहा है, आदिवासी एवं पिछड़े हमेशा हाशिए पर रहे हैं और हाशिये पर पड़ी और एकजुट हुई इन्हीं जातियों से राजस्थान में पहचान की राजनीति शुरू होती है। राजस्थान में पहचान की राजनीति अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इतिहास साक्षी रहा है कि राजस्थान में यह किसी विशेष समूह जैसे दलित, घुमंतू व आदिवासी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार, जातिगत अपमान एवं भेदभाव से पनपी है।

प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक चार्ल्स टेलर के बहु–संस्कृतिवाद व पहचान की राजनीति के सिद्धांत जातियों, समुदायों और हाशिए के समूहों की राजनीतिक–सामाजिक स्थिति को समझने में अत्यधिक उपयोगी हैं, उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या समुदाय की पहचान समाज की मान्यता पर निर्भर करती है, यदि समाज किसी समूह को हीन मानता है तो इससे उस समूह के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, दार्शनिक विचारक टेलर का यह भी मानना था कि लोकतांत्रिक राज्यों को अपनी विविधताओं को समाप्त या कम करने के बजाए सभी समूहों की संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। राज्य को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति समाज से अलग–थलग इकाई नहीं है बल्कि वह किसी न किसी समुदाय, भाषा और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर व्यक्ति की जाति, भाषा, धर्म व संस्कृति को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए।[1]

राजस्थान में पहचान की राजनीति सामंती पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। राजस्थान का इतिहास राजा–महाराजाओं और जागीरदारों–जमींदारों का रहा है, आज भी राजपरिवार या सामंती पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं (वसुंधरा राजे सिंधिया) व उनके परिवारों को राजस्थान में विशिष्ट पहचान व सम्मान मिलता है, वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने इस ढांचे को चुनौती दी है और राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ी है। स्थानीय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय नेताओं की वेशभूषा, भाषा, खाना–पान, आचार–विचार, कला–संस्कृति यहाँ के मतदाताओं को लुभाते हैं और इससे राज्य राजनीति प्रभावित होती है। इस तरह राजस्थान में पहचान की राजनीति जाति आधारित लामबंदी और पारंपरिक मूल्यों के इर्द–गिर्द घूमती रहती है।[2]

राजस्थान में पहचान की राजनीति की परिभाषा एवं अर्थ – पहचान की राजनीति की कोई एक सर्वमान्य और आधिकारिक परिभाषा नहीं हैं, लेकिन इस शब्द को सबसे पहले कॉम्बाही रिवर क्लेक्टिव की सह संस्थापक अश्वेत नारीवादी बारबरा स्मिथ ने 1970 के दशक में ढूंढा–गढ़ा और परिभाषित किया था।[3] **राजनीतिक शब्दकोष और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका** (अंग्रेजी भाषा का दुनिया का सबसे पुराना व विश्वप्रसिद्ध ज्ञानकोश, जिसे स्कॉटलैण्ड में शुरू किया गया था) जैसे आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह किसी नस्लीय, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक या लैंगिक समूह द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधि, जिसमें समूह के सदस्य अपनी विशिष्ट पहचान और भेदभाव जैसे साझा अनुभवों के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व व समानता की मांग करते हैं।[4] राजस्थान के संदर्भ में पहचान की राजनीति का अर्थ है कि राजस्थान के ऐसे समूह जो समाज द्वारा धितकारे और दबाए गए हैं, उनके द्वारा अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलनों के माध्यम से अपने समूह विशेष व उसके अधिकारों को प्रकाश में लाया गया है, समूह विशेष के इन आंदोलनों के उपरांत

तत्कालीन सरकारों द्वारा उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों द्वारा उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है के रूप में हम राजस्थान में पहचान की राजनीति को समझ सकते हैं।[5]

राजस्थान में पहचान की राजनीति के स्रोत एवं निर्धारक तत्व – राजस्थान में पहचान की राजनीति के सबसे प्रमुख स्रोतों एवं निर्धारक तत्वों में ऐतिहासिक–सामंती विरासत, क्षेत्रीय पहचान व भावनाएं, जातिगत एवं सामाजिक समीकरण एवं धर्म व सांस्कृतिक प्रतीक आदि प्रमुख हैं। राज्य की बहुआयामी सामाजिक संरचना यहां के चुनावी और राजनीतिक आयामों को निर्धारित करती है, जिनका विवरण इस प्रकार से है :–

1. **ऐतिहासिक–सामंतीय विरासत –** राजस्थान की पहचान उसके राजशाही इतिहास से जुड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की रियासती व्यवस्था और जागीरदारी प्रथा का प्रभाव राजस्थान राज्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। यही सामंतीय ऐतिहासिक विरासत पहचान की राजनीति का प्रमुख स्रोत व निर्धारक तत्व है। ऐतिहासिक और सामंती विरासतों से राजस्थान की राजनीति में जाति और वंशवाद का प्रभाव अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि राजस्थान 19 देशी रियासतों और ठिकानों में बंटा हुआ था[6] इनमें सामंती व्यवस्था (जागीरदारी व्यवस्था) सदियों से चली आ रही थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तो राजा–महाराजाओं और जागीरदारों ने भारतीय संघ में अपनी पुरानी औकात व हैसियत को बनाए रखने लिए इसी ऐतिहासिक–सामंतीय विरासत का राजनीतिकरण किया। राजस्थान में राजपूत अपने नाम के आगे अपने क्षेत्र अर्थात् जागीर या ठिकाने का नाम लिखते है, क्योंकि यह उनकी ऐतिहासिक पहचान, गौरव और वंशावली को दर्शाता है। यह परंपरा यह दर्शाती है कि उनके पूर्वज किस रियासत या जागीर के शासक (जागीरदार या ठाकुर) रहे थे। राजपूत अपने मूल वंश (सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या अग्निवंशी) के आधार पर प्रमुख कुलों सिसोदिया, राठौड़, चौहान या कछवाहा में बंटे हुए हैं। ठिकाने का नाम वंश वृक्ष की विशिष्ट शाखा को प्रमाणित करता है। ऐतिहासिक रूप से बड़े राजाओं जैसे मेवाड़ या मारवाड़ के महाराजा के अधीन छोटे जागीरदार होते थे, जो अपने क्षेत्रों (ठिकानों) का प्रशासन संभालते थे। ठिकाने का नाम उनकी उसी ऐतिहासिक प्रशासनिक जिम्मेदारी और सामंती पृष्ठभूमि को दर्शाता है।

   जब देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया, तब देशी रियासतों के राजाओं को इसके लिए कर मुक्त वार्षिक पेंशन या भत्ता, अपने महल–आभूषण सुरक्षित रखने का अधिकार व पुश्तैनी निजी संपत्ति रखने, उन्हें व उनके उत्तराधिकारियों को राजा/महाराजा की पदवी, शाही उपाधियां और विशेष सम्मान बनाए रखने एवं अपनी गाड़ियों पर विशेष शाही नंबर रखने के अधिकार दिए गए, किंतु 1971 में तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के सभी विशेषाधिकारों एवं प्रिवीपर्स का अंत यह कहकर किया गया कि ये विशेषाधिकार लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांतों के विपरीत थे, किंतु राजघराने से जुड़े लोगों ने अपनी इसी पहचान को बनाए रखा और वे उसी शाही अंदाज में व्यवहार रखते है और उसी ढंग से जीते हैं।[7] राजस्थान में शाही राजघराने/राजपरिवार आज पारिवारिक संपत्तियों (जैसे महल, होटल व ट्रस्ट) के उत्तराधिकार व ऐतिहासिक गौरव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उदयपुर व जयपुर राजघराने/राजपरिवार की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। उदयपुर राजपरिवार में सिटी पैलेस के उत्तराधिकार को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी तरह जयपुर राजपरिवार हथरोई गांव की जमीन का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।[8] इसके अतिरिक्त करणी सेना जो एक राजपूत संगठन है वह इतिहास के कथित विकृतीकरण और महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे इतिहास पुरूषों के अपमान के विरोध में सड़कों पर उतरते रहे हैं।[9] आज के समय में अधिकांश राजघराने जैसे जोधपुर एवं जयपुर राजघराने अपनी विरासत को पर्यटन और ट्रस्टों के माध्यम से चला रहे हैं। राजपरिवार के सदस्य सीधे सक्रिय राजनीति में भी शामिल हैं और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी कर रहे हैं।

2. **क्षेत्रीय पहचान –** मेवाड़, मारवाड़, ढूंढ़ाड़ और शेखावटी क्षेत्रों की अपनी अलग–अलग पहचान है। राष्ट्रीय व स्थानीय नेता इसी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहचान का इस्तेमाल करके जन–समर्थन को अपने पक्ष में करते हैं। क्षेत्रीय पहचान विशेषकर मारवाड़, मेवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों का विशिष्ट इतिहास, संस्कृति व ताना–बाना है जो पहचान की राजनीति को सीधे तौर पर जन्म देता है। **मेवाड़** शिरोमणी महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, बलिदान के लिए जाना जाता है। यहां राजपूतों व आदिवासियों की

राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका है। मेवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव व इतिहास का उपयोग करके चुनाव के समय राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। थार का मरूस्थल, राठौड़ रियासत और आर्थिक पक्ष **मारवाड़** की पहचान है। यहां की स्थानीय राजनीति में जागीरदारी प्रथा के विरूद्ध हुए मारवाड़ किसान आंदोलन[10] की गहरी छाप है। यह क्षेत्र प्रभावशाली मारवाड़ी व्यापारिक समुदाय और जाट बहुल राजनीति का केन्द्र है, जिससे राज्य की आर्थिक व चुनावी दिशा–दशा निर्धारित होती है। इसी तरह **शेखावटी क्षेत्र** अपनी हवेलियों और कला–संस्कृति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपने दिए गए योगदान के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भी जाट बहुल राजनीति और सीकर किसान आंदोलन[11] जैसे आंदोलनों की प्रयोगशाला रहा है। इस क्षेत्र की पहचान सैनिक/सेना और किसान के राष्ट्र निर्माण में योगदान से जुड़ी हुई है। आम चुनावों में सामाजिक न्याय, आरक्षण व कृषि आधारित मुद्दे यहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजस्थान के **ढूंढ़ाड़ क्षेत्र** में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी भाषा राज्य की राजनीति में एक शक्तिशाली सांस्कृतिक व क्षेत्रीय पहचान के रूप में काम करती है। यह स्थानीय अस्मिता, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सत्ता के समीकरणों को प्रभावित कर संपूर्ण राज्य राजनीति को एक नई दिशा देती है। अगर राजस्थान की राजनीति के अतीत को उठाकर देखें तो यह पाते हैं कि राजस्थान की राजनीति में हमेशा से राजघरानों का दबदबा रहा है, ढूंढाड़ राजस्थान की सत्ता को प्राप्त करने का केन्द्र भी रहा है।[12]

पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल इसी ढूंढाड़ क्षेत्र से रहे हैं। इस ढूंढ़ाड़ क्षेत्र से हमेशा से दो प्रमुख पार्टियों के बीच ही कांटे की टक्कर रही है। राजस्थान के पूर्व–मध्य भाग में स्थित ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, दौसा, टोंक व सवाईमाधोपुर जिले आते हैं, इस क्षेत्र में वर्तमान में विधानसभा की 32 सीटें है जो पूर्व में 25 ही थीं। ढूंढाड़ क्षेत्र में बनिया, राजपूत और ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति और जनजाति का भी इस क्षेत्र की राजनीति में प्रमुख योगदान रहा है। वैसे इस क्षेत्र से श्री नमोनारायण मीणा, श्री कुंजीलाल, श्रीमति जसकौर मीणा, श्री कैलाश मेघवाल और श्री खिलाड़ी बैरवा जैसे प्रमुख नेता रहे हैं। गुर्जर समुदाय भी इस क्षेत्र में प्रमुखता से विद्यमान है, गुर्जर समुदाय श्री सचिन पायलट के पक्ष में रहा है जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। ढूंढाड़ क्षेत्र में पहचान की राजनीति जातीय समीकरणों से प्रभावित होने के बाद जयपुर राजघराने द्वारा संचालित होती रही है। गायत्री देवी परिवार ने इस क्षेत्र को राज्य सचिवालय, पुरानी विधानसभा, सवाई मानसिंह अस्पताल, महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय दिए हैं। यह क्षेत्र 1962 से पूर्व कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव में था। 1962 में महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी।[13]

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग ढूंढाड़ी भाषी नेताओं ने ही उठाई है, ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणा, गुर्जर, जाट, राजपूत और ब्राह्मण आदि जातियों के लोग हैं। ये सभी अपनी स्थानीय बोलियों और परंपराओं के माध्यम से एकजुट होते हैं, राजनीतिक दल इन समुदायों की पहचान को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी रणनीतियां बनाते हैं। वैसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ढूंढाड़ क्षेत्र में उसकी सांस्कृतिक पहचान को साधकर राजनीतिक दलों के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति संभव हो पाती है। इसके अलावा ढूंढाड़ी भाषा और स्थानीय लोक कलाओं का उपयोग करके ही राजनीतिक दल अपने राजनीतिक संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने स्थानीय जुड़ाव को लोगों के सामने रखते हैं। राजनीतिक दलों का स्थानीय जुड़ाव ही उन्हें लोगों के दिलोदिमाग तक पहुंचाता है और वे चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और ढूंढाड़ क्षेत्र राजस्थान की राजनीति की नब्ज़ हैं, जिसे राजनीतिक दल रूपी डॉक्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं और जनता की विचारधारा और दिलोदिमाग को नियंत्रित कर सत्ता हासिल कर पाते हैं।[14]

हाड़ौती क्षेत्र में पहचान की राजनीति मुख्य रूप से प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के इर्द–गिर्द घूमती रहती है। हाड़ौती की राजनीतिक पहचान का मूलाधार यहां के हाड़ा चौहान शासक रहे हैं। राजपूत वर्चस्व और ऐतिहासिक कोटा और बूंदी जैसी रियासतों की विरासतों ने यहां के सामाजिक–राजनीतिक जीवन को हमेशा प्रभावित किया है, जो चुनावों में स्थानीय स्वाभिमान के रूप

में उभरती है। इस क्षेत्र को भाजपा व जनसंघ की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने इस क्षेत्र में जनसंघ को स्थापित कर भाजपा को मजबूत किया है, जिससे इस क्षेत्र को भाजपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्षेत्र झालरापाटन एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहां की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण पहचान रखती है।[15] हाडौती क्षेत्र के बारां जिले में सहरिया जनजाति की उपस्थिति पहचान की राजनीति का महत्वपूर्ण अंश है, क्योकि सहरिया जनजाति के आर्थिक, सामाजिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे समय–समय पर राजनीतिक लामबंदी का केन्द्र बनते रहे हैं। आदिवासी व स्थानीय मुद्दे पहचान की राजनीति को हवा देते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में सहरिया जनजाति की पहचान और राजनीतिक स्थिति मुख्य रूप से उनकी अनूठी संस्कृति, भूमिहीनता और उनकी विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी के इर्द–गिर्द घूमती रहती है। हाड़ौती क्षेत्र में बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति रहती है। सहरिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह (पीवीटीजी) में शामिल किया गया है, इस जनजाति की पारंपरिक पहचान वनों और लघु वनोपज पर आधारित रही है, लेकिन वनों के घटने और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण वे मजदूरी करने पर मजबूर हुए हैं। देश या राज्य के राजनीतिक दल इस समुदाय के पिछड़ेपन, कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं (टीबी) को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, उनके लिए विशेष पैकेज, मनरेगा में अतिरिक्त कार्यदिवस और पीएम जनमन जैसी योजनाओं के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, सहरिया जनजाति के पिछड़ेपन के लिए राजस्थान की सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं और राजनीति करती रही है, सहरिया जनजाति का पिछड़ापन, उनका शोषण और उनका हाशिए पर होना पहचान की राजनीति को जन्म देता है।[16]

3. जाति आधारित गोलबंदी – राजस्थान की राजनीति में जाति आधारित गोलबंदी भी पहचान की राजनीति का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि लोकसभा–विधानसभा एवं स्थानीय चुनावों में जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है और चुनावी रणनीतियां तैयार की जाती हैं, यहां तक मंत्रिमण्डल के गठन में भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों में जाट समुदाय का मजबूत प्रभाव है, जो राजस्थान के कृषि व राजनीतिक परिदृश्य को सीधे प्रभावित करते हैं, इसी तरह सामंती पृष्ठभूमि के राजपूतों की राजनीतिक पहचान बहुत गहरी है, वे चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, गुर्जर व मीणा समुदाय के मध्य प्रतिस्पर्धा ने भी राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया है। दलित व आदिवादी भी राज्य की आरक्षित सीटों व सामान्य सीटों पर अपना प्रमुख प्रभाव रखते हैं और राज्य राजनीति में इनकी अतुलनीय भागीदारी रही है।

10 सितंबर, 2023 को डूंगरपुर में भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर द्वारा भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर की गई थी। भारतीय आदिवासी पार्टी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर भीलप्रदेश का गठन करना था। आदिवासी पार्टी की मुख्य विचारधारा जल, जंगल, जमीन व खनिज संसाधनों और जैव विविधता पर उनके पारंपरिक अधिकार पर आधारित है, चूंकि आदिवासी राजस्थान में अपनी इस वैचारिक पहचान को खोते दिखाई दे रहे है, इसलिए इस पार्टी की स्थापना की आवश्यकता हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने एवं आदिवासियों को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलवाने के लिए पार्टी प्रयासरत है। पार्टी ने आदिवासियों को उनकी पहचान संकट में है का एहसास करवाकर पहचान की राजनीति के संकट को बढ़ावा दिया है।[17] चुनाव पूर्व या सरकार पर समाज के हित में दबाव बनाने के लिए जाति समूहों द्वारा महापंचायतों व जाति सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय समाज द्वारा कर्नल श्री किरोड़ी सिंह बैसला[18] के नेतृत्व महापंचायतों का आयोजन किया गया था। ब्राह्मण, जाट, माली, धाकड़, राजपूत, मीणा समुदायों द्वारा भी अपने अधिकारों के लिए विशाल महासभाओं का आयोजन किया जाता रहा है। सवर्ण ब्राह्मण समाज द्वारा भी आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण की मांग 2002–03 में गहलोत सरकार से की गई थी। श्री गहलोत ने सैद्धांतिक आधार पर यह माना कि आर्थिक आधार पर

सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बाद केंद्र सरकार से संविधान संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।[19]

4. किसान आंदोलन और क्षेत्रीय संघर्ष – राजस्थान में जागीरदारी प्रथा और सामंती शोषण के खिलाफ हुए आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना जागृत की, शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र में जाटों का राजनीतिक उदय इसी का परिणाम है। राजस्थान में किसान आंदोलन और क्षेत्रीय संघर्ष मुख्य रूप से सामंती उत्पीड़न, जाति आधारित अस्मिता, भू–अधिकारों की राजनीति से गहराई से जुड़े हुए हैं। रियासत काल में ऐसे संघर्ष आर्थिक शोषण के विरूद्ध थे, जो विशिष्ट जातियों और क्षेत्रों की राजनीतिक पहचान का आधार बने। बिजौलिया किसान आंदोलन में धाकड़ समाज/जाति और शेखावटी–मारवाड़ क्षेत्र में जाट किसानों ने अपने सामाजिक समूहों की पंचायतों के माध्यम से आंदोलन शुरू किए, जिससे इन समुदायों की मजबूत राजनीतिक पहचान विकसित हुई। दूसरी तरफ राजस्थान के ठिकानेदार और शासक मुख्य रूप से राजपूत कुलीन वर्ग से थे, जबकि अधिकांश पीड़ित कृषक पिछड़ी जातियों से थे। इस प्रकार लगान और बेगार के खिलाफ हुआ संघर्ष शासक वर्ग की पहचान और किसान वर्ग की वंचित पहचान के बीच संघर्ष बन गया और राजस्थान में पहचान की राजनीति का उदय हुआ। मारवाड़, मेवाड़ और शेखावटी जैसे अलग–अलग क्षेत्रों में पानी, सिंचाई और भूमि सुधार के मुद्दे वहां की स्थानीय राजनीति की धुरी बने। ऐतिहासिक किसान सभाओं और क्षेत्रीय संगठनों ने ग्रामीण समुदायों को चुनावी राजनीति में एक संगठित ताकत के रूप में स्थापित किया, जहां आज भी किसान हित और क्षेत्रीय अस्मिता प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं।[20]

5. धर्म व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण – राजस्थान में समय–समय पर चुनावों के दौरान धार्मिक पहचान का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिंदुत्व की विचारधारा व बहुसंख्यक समाज की भावनाओं ने राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। राजस्थान की राजनीति में धर्म व साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण ने पहचान की राजनीति को गति दी है। राजस्थान में पहचान की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का संबंध यहाँ के सामाजिक ताने–बाने, जातिगत समीकरणों और धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है। चुनावों के दौरान जातियों और धर्मों के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता रहा है। राजस्थान में स्थानीय प्रतीकों, ऐतिहासिक प्रसंगों और धार्मिक भावनाओं का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा जनसमर्थन जुटाने के लिए किया जाता रहा है। आज भी राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक स्वार्थों के लिए धार्मिक या सामाजिक मुद्दों को तूल देकर ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास के मुद्दों की अपेक्षा धार्मिक मुद्दों ने विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास को कम कर दिया है। धर्मांतरण विरोधी कानून, त्रिशूल दीक्षा व वितरण कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ या शुद्धिकरण जैसी घटनाओं ने सामाजिक ताने–बाने, आपसी सौहार्द्र और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया है।[21] अलवर व सीमावर्ती जिलों में मंदिरों के शुद्धिकरण या प्रशासनिक स्तर पर विशेष धार्मिक स्थलों/मदरसों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों ने विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास व राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है।[22] राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान गैर–कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध कानून, 2025 लागू होने के बाद ईसाई पादरियों और अल्पसंख्यक समूहों पर दबाव व हमलों की घटनाओं में वृद्धि दर्ज हुई है।[23]

6. भाषाई व सांस्कृतिक पहचान – राजस्थानी भाषा को संविधान की **आठवीं** अनुसूची में शामिल करने की मांग ढूंढाड़ी भाषी नेताओं ने प्रमुखता से उठाई और इसे क्षेत्रीय स्वाभिमान से जोड़ा। 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था, लेकिन केन्द्र स्तर पर अंतिम मुहर न लगने के कारण यह राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बना रहा। सांस्कृतिक पहचान बनाम हिंदी की राजनीति में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी जैसी बोलियों को हिंदी की ही उप–भाषा मान लिया जाता है, जिससे स्थानीय लोग अपनी स्वतंत्र भाषाई पहचान के प्रति जागरूक होकर इसे राजनीतिक मंचों पर उठाते हैं। हाल ही में अदालती निर्देशों और प्रशासनिक कदमों के तहत स्कूलों व विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है जो क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने की राजनीति का परिणाम है।[24] इसके अलावा स्थानीय भाषाओं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावटी आदि के जरिए नेताओं ने जनता से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर राजस्थान में पहचान की राजनीति को हवा देकर जीवित रखा है।

7. जातीय और सामाजिक दबाव समूह – राजस्थान में पहचान की राजनीति में दबाव समूह और जातीय–सामाजिक संगठन बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ये समूह प्रत्यक्षतः सत्ता प्राप्त किए बिना अपनी जाति, समुदाय या वर्ग विशेष के हितों, आरक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए राजनीतिक दलों व सरकार पर नीतियां बदलने का दबाव बनाते रहते हैं। राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा और विश्नोई जैसे प्रमुख समूह मजबूत दबाव समूह के रूप में कार्य करके पहचान की राजनीति का आधार तैयार करते हैं। पहचान की राजनीति खेलकर दबाव समूह चुनाव के समय अपने समुदाय के हितों की पूर्ति का हवाला देकर अपनी जाति–समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं ताकि उनके समुदाय के हितों की पूर्ति उनके ही समुदाय के लोगों द्वारा की जा सके और उनकी लुप्त होती पहचान और हाशिए पर पहुंचे उनके लोगों को विकास की तरफ ढकेला जा सके। गुर्जर आरक्षण आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है, जहां समुदाय ने अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संगठित होकर सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया, इस आंदोलन ने दुनिया को यह दिखाया कि हाशिये पर पड़े इस समुदाय के लोगों की भी अपनी पहचान है और वे अब अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो चुके हैं और उनकी मांगों को जनतंत्रीय सरकार को पूरा करना ही होगा। जाट महासभा, राजपूत सभा (क्षत्रिय), ब्राह्मण महासंघ, मीणा समाज सभा, जाट–गुर्जर आरक्षण समिति (पहचान आधारित समूह) सर्वसमाज संघर्ष समिति, आदिवासी सभा और देवसेना जैसे संगठनों ने पहचान की राजनीति को जीवित रखने में अहम् भूमिका निभाई है, इसके अतिरिक्त गुर्जर, मीणा और राजपूत आंदोलनों ने यह साबित किया है कि पहचान आधारित गोलबंदी किस प्रकार राज्य सरकार को नीति बदलने या आरक्षण के दायरे पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकती है।[25]

8. आर्थिक व नागरिक दबाव समूह – आर्थिक व नागरिक दबाव समूहों के अन्तर्गत युवा व बेरोजगार संगठन और किसान–श्रमिक आंदोलन पहचान की राजनीति का संचालन करते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जैसे समूहों ने हाल के वर्षों में पहचान आधारित राजनीति के साथ–साथ रोजगार व प्रशासनिक पारदर्शिता को एक नया दबाव बिंदु बनाया है। राजस्थान के युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं और रोजगार के अभाव में हाशिए पर पहुंच गए है, युवा शक्ति की संख्या के अनुपात में रोजगारों का सृजन नहीं हुआ है इसलिए एकीकृत बेरोजगार युवा संगठन ने जन्म लिया है, इसी तरह राजस्थान में किसानों के साथ भी न्याय नहीं हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की एवज में पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है, इसी तरह श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजबूरी से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए श्रमिक आंदोलनों की स्थिति उत्पन्न हुई है।[26]

9. **दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों की सियासत और पहचान की राजनीति –** राजस्थान में पहचान की राजनीति विशेषतः जाति, क्षेत्र और सामाजिक पहचान पर आधारित रही है, जो प्रमुखतया 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के चारों ओर ही घूमती रहती है। राजस्थान की राजनीति में पहचान और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व से जुड़े पांच प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), भारतीय आदिवासी पार्टी एवं जमींदारा पार्टी हैं। कांग्रेस की राजनीति जाट, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के पारंपरिक गठजोड़ और सामाजिक पहचान को बनाने पर आधारित रही है, जबकि बीजेपी वैचारिक राष्ट्रवाद के साथ–साथ सवर्ण जातियों जैसे राजपूत व ब्राह्मण और आदिवासियों को साधकर होती रही है। आरएलपी पश्चिमी राजस्थान में जाट और ग्रामीण क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती रही है। दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर मेवाड़–बागड़ क्षेत्र में आदिवासी पार्टी आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को लेकर उभरी है। इसी तरह राजस्थान की राजनीति में नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी, जिसे जमींदारा पार्टी कहा जाता है, मुख्य रूप से क्षेत्रीय किसानों, स्थानीय आर्थिक मुद्दों और किसानों की पहचान की राजनीति से जुड़ी रही है। इस पार्टी की स्थापना 2013 में गंगानगर के व्यवसायी और ग्वार व्यापारी बी. डी. अग्रवाल द्वारा की गई थी। यह पार्टी मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर–पश्चिमी कृषि प्रधान जिलों गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में सक्रिय रही है। इस पार्टी का उद्देश्य ग्वार किसानों, स्थानीय मजदूरों और कृषि जिंसों के हितों, सिंचाई–पानी और किसानों के आर्थिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करना था। राजस्थान में गत कुछ वर्षों में आदिवासी पार्टी ने आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर तेजी से राजनीतिक जमीन तैयार कर पहचान की राजनीति को हवा दी है और उसका राजनीतिक लाभ भी उठाया है। किसानों, श्रमिकों एवं

आदिवासियों की समस्याओं, उनके पिछड़ेपन व शोषण और विकास के मुद्दे को भुनाकर राजनीतिक दलो द्वारा राजनीति की जाती रही है। राजस्थान के स्थानीय निकायों, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में पहचान की राजनीति मुख्य रूप से जातिगत समीकरणों, सामाजिक समूहों के अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता के चारों ओर घूमती रहती है। चुनाव के नजदीक आते ही जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, माली, सिंधी व मीणा जैसी जातियों की महासभाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये सभी राजनीतिक दलों पर टिकट वितरण में अपनी जाति की संख्या के अनुपात में उनकी जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का दबाव बनाती हैं। गुर्जर व अन्य जातियों द्वारा समय–समय पर नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के वर्गीकरण की मांग पहचान की राजनीति का एक अहम हिस्सा रही है। शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़ या पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों का प्रभाव उम्मीदवारों की हार–जीत का निर्णय करता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि गोत्र व उप–जातियों के आधार पर भी मतदाता गोलबंद हुए हैं और पहचान की राजनीति का आधार मजबूत हुआ है।[27]

राजस्थान में पहचान की राजनीति का स्वरूप :

राजस्थान में पहचान की राजनीति का स्वरूप बहुत विशिष्ट और गहरा है, यहां की जातियां राजनीति दलों की संपूर्ण गतिविधियों को और सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगीं? को निर्धारित करती हैं। पहचान की राजनीति के स्वरूप को जाति के अतिरिक्त **ऐतिहासिक गौरव, सामंती विरासत और क्षेत्रीय भावनाएं** प्रभावित करती हैं। **सामाजिक पहचान एवं न्याय, आरक्षण के लिए संघर्ष एवं विकास और जनकल्याण के मुद्दे** वर्तमान संदर्भ में पहचान की राजनीति के स्वरूप को निर्धारित कर रहे हैं।

राजस्थान में जाति स्वयं एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से 1970 के दशकों के मध्य जाट व राजपूत राजस्थान के सबसे प्रमुख जातीय समूह रहे, संख्या बल और राजनीतिक चेतना के आधार पर जाटों एवं अन्य कृषक जातियों का प्रभाव पड़ा है, जबकि राजपूतों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी मजबूत सामाजिक व राजनीतिक पकड़ बनाए रखी है। जाटों ने आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ राजपूत जाति रामराज्य परिषद् और कांगेस के विकल्प के रूप उभरी स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, भाजपा के पक्ष में रहीं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किसी जाट या राजपूत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया किंतु जाटों में शिक्षा के विकास, सरकारी नौकरियों में उनके योगदान और उनकी भूमि स्वामितत्व में वृद्धि ने उनकी जातीय निष्ठा और परस्पर एकजुटता को बढ़ाया, लेकिन राजनीतिक दलों की अनदेखी ने उनकी दलीय निष्ठा को कम कर दिया।

कांग्रेस ने जाति समीकरणों के आधार पर अब तक ब्राह्मण समुदाय से श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर, वैश्य समुदाय से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, कायस्थ समुदाय से श्री हीरालाल देवपुरा, मुस्लिम समुदाय से श्री बरकतउल्ला खां और माली समाज से श्री अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि जाट नेताओं को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और राजपूत नेताओं को उप–मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की कैबिनेट में जाट समुदाय से श्री परसराम मदेरणा, श्री महिपाल मदेरणा और श्री हेमाराम चौधरी जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को स्थान मिला था। श्री अशोक गहलोत के मुख्यमत्रित्व काल में नवबंर 1999 और जनवरी, 2000 में जाटों को (भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को छोड़कर) अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया गया था। श्री गोविंद सिंह डोटासरा जो जाट समुदाय से हैं वे वर्तमान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं। कांग्रेस शासनकाल में अब तक केवल गैर–राजपूत जैसे दलित व जाट नेताओं को ही उप–मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। श्री टीकाराम पालीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल (जाट समुदाय) एवं श्री बनवारी लाल बैरवा (दलित समुदाय) एवं श्री सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में श्री भैरोसिंह शेखावत (राजपूत समुदाय) के शासनकाल 1977 से लेकर वर्तमान तक राज्य में जातियों के आधार पर व्यापक सामाजिक व राजनीतिक नियुक्ति दी गई थीं और जातिगत समीकरणों का उपयुक्त ध्यान रखा गया था। श्री भैरोसिंह शेखावत के अतिरिक्त श्रीमति वसुधरा राजे राजपूत समाज से मुख्यमंत्री रहीं। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में दिया कुमारी (राजपूत) उपमुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह दलित नेता श्री प्रेमचंद बैरवा उप–मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं।

संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक संख्या का मंत्रिमण्डल नहीं हो सकता, इस तय मापदण्ड के अनुसार राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल में 30 सदस्यों से अधिक संख्या नहीं हो सकती। राजस्थान में पहचान की राजनीति का एक तीखा रूप आरक्षण आंदोलनों में देखा गया है, गुर्जर आरक्षण की प्रबलीकृत मांग ने आरक्षण आधारित पहचान की राजनीति को स्पष्ट किया है। राजस्थान की पिछली कई सरकारों के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों ने जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए मंत्रिमण्डल में सभी वर्गों के नुमाइंदों को कैबिनेट/राज्यमंत्री पद दिया, जातियों की जनसांख्यिकी के आधार पर मंत्रिमण्डल में समुदाय विशेष के मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई। ओबीसी वर्ग से जाट, गुर्जर, माली, विश्नोई, अहीर (यादव), देवासी को मंत्रिमण्डल में स्थान मिलता रहा है। सामान्य वर्ग से ब्राह्मण, राजपूत एवं वैश्य आदि को भी मंत्रिमण्डल एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिलती रही है। अनुसूचित जाति (दलित) में मेघवाल, बैरवा और अनुसूचित जनजाति में भील व मीणा समुदाय के सदस्यों को रखा गया था। राजस्थान की पहली गैर–कांग्रेसी भैरोसिंह शेखावत सरकार (1977, 1990 व 1993 में) के तीन कार्यकाल में राजपूत, ब्राह्मण, महाजन (वैश्य), जाट, गुर्जर, अनुसूचित जाति–जनजाति और मुस्लिम समुदाय सहित विभिन्न जातियो ंके प्रमुख नेताओं को मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया था। राजपूत समुदाय से मुख्यमंत्री स्वयं श्री शेखावत, श्री हरिशंकर भाभड़ा उप–मुख्यमंत्री एवं श्री नाथूसिंह, ब्राह्मण समुदाय से श्री केदारनाथ एवं श्री भंवरलाल, महाजन/वैश्य समुदाय से ललित किशोर चतुर्वेदी, मुस्लिम समुदाय से श्री नसरू खान, जाट, गुर्जर, दलित और अनुसूचित जाति–जनजाति समुदाय से श्री रोहिताश्व एवं संपतराम जी के नाम उल्लेखनीय हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया के 17 वर्षों के लम्बे मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मंत्रिमण्डल में कई प्रमुख जातियों ब्राह्मण, राजपूत, जाट, जैन, आदिवासी एवं दलित समुदायों से कई कद्दावर नेताओं को मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया स्वयं जैन समुदाय से थे, जाट समुदाय से नाथूराम मिर्धा (कृषि, सिंचाई), बलदेवराम मिर्धा (गृहराज्य मंत्री), कुंभाराम आर्य (राजस्व व स्थानीय प्रशासन) जैसे नेता सरकार में विभिन्न मंत्रियों के पद पर कार्य कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी भी सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में उद्योग–खनन मंत्री के पद पर रहे थे, बृजसुंदर शर्मा एवं रामकरण जोशी भी श्री सुखाड़िया मंत्रीमण्डल में शामिल रहे। इसी तरह वैश्य (जैन/ महाजन) समुदाय से राजस्व व राहत मंत्री के पद पर दामोदर लाल व्यास आसीन रहे। जबकि कायस्थ वर्ग से मथुरा दास माथुर वित्त व योजना विभाग मंत्री रहे। श्री माणिक्य लाल वर्मा भी कायस्थ वर्ग से ही थे जो सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे। श्री भीखाभाई आदिवासी वर्ग से थे और समाज कल्याण व स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री रहे। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से अमीनुद्दीन अहमद अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री रहे थे। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने से ही राजनीतिक क्षेत्रों और जातियों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की प्रथा रही थी और उसी के अनुरूप सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में विभिन्न जातियों और समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मोहनलाल सुखाड़िया के 1954 से 1971 के कार्यकाल में 4 बार मंत्रिमण्डलों का गठन हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मुख्यमंत्री/मंत्री	विभाग	जाति	कार्यकाल
	श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री)	सामान्य प्रशासन, नियुक्तियां, वित्त व योजना	जैन	1954–1957 1957–1962 1962–1967 1967–1971
	श्री टीकाराम पालीवाल, कैबिनेट	राजस्व व कृषि	गौड़ ब्राह्मण	1954–1957
	श्री कुंभाराम आर्य, कैबिनेट	राजस्व व स्थानीय प्रशासन, आबकारी, कराधान	जाट	1954–1957
	श्री मथुरादास माथुर, कैबिनेट	शिक्षा व गृह स्थानीय स्वायत्त शासन, वित्त, योजना, आबकारी, कराधान	कायस्थ	1954–1957 1962–1967

				1967–1971
	श्री भोगीलाल पंडया, कैबिनेट	उद्योग व वाणिज्य	त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण	1954–1957
	श्री बलदेव मिर्धा, राज्य मंत्री	गृह राज्य मंत्री	जाट	1954–1957
	श्री मास्टर भोलानाथ, कैबिनेट	पुनर्वास व नागरिक आपूर्ति	स्वामी	1954–1957 1957–1961
	श्री अमृतलाल यादव, कैबिनेट	समाज कल्याण व वन	यादव	1954–1957 1957–1962
	श्री दामोदर लाल व्यास कैबिनेट	राजस्व व राहत गृह व राजस्व	ब्राह्मण	1957–1962 1962–1967 1967–1971
	श्री हरिभाऊ उपाध्याय, कैबिनेट	वित्त, शिक्षा व पंचायतीराज, परिवहन	ब्राह्मण	1957–1962 1962–1967
	श्री रामनिवास मिर्धा, कैबिनेट	कृषि व सिंचाई	जाट	1957–1962
	श्री बृजकिशोर शर्मा, कैबिनेट	वित्त, शिक्षा, विधि	ब्राह्मण	1954–1957
	श्री रामकरण जोशी कैबिनेट	स्वायत्त शासन, पंचायत, राहत व पुनर्वास	ब्राह्मण	1954–1957
	श्री नाथूराम मिर्धा, उप राज्यमंत्री	कृषि, सिंचाई व राजस्व पशुपालन–नागरिक आपूर्ति	जाट	1957–1962 1962–1967
	श्री भीखा भाई भील कैबिनेट	सिंचाई व जनजातीय कल्याण व श्रम श्रम, परिवहन, सामाजिक कल्याण व जनजातीय विकास	अनुसूचित जनजाति	1957–1962 1962–1967 1967–1971
	श्री निरंजननाथ आचार्य, उपमंत्री	कानून व शिक्षा	ब्राह्मण	1957–1962 1962–1967
	श्रीमती कमला बेनीवाल, उपमंत्री	विकास, योजना व कृषि	जाट	1962–1967
	श्री बरकत उल्ला खान कैबिनेट	चिकित्सा, स्वास्थ्य व आवास शिक्षा, कानून, भाषा व वक्फ	मुस्लिम	1962–1967 1967–1971
	श्री हरिदेव जोशी कैबिनेट	खान, उद्योग व प्रचार	ब्राह्मण	1962–1967 1967–1971
	श्री चंदनमल बैद, उपमंत्री	उद्योग–वित्त	वैश्य (ओसवाल)	1962–1967 1967–1971
	श्री दौलतराम सारण, उपमंत्री	राजस्व	जाट	1962–1967
	श्री रामकिशोर व्यास, कैबिनेट	चिकित्सा, स्वास्थ्य व स्थानीय स्वायत्त शासन	ब्राह्मण	1967–1971
	श्री शिवचरण माथुर, राज्यमंत्री	कृषि, पशुपालन व बिजली	कायस्थ	1967–1971
	श्रीमति सुमित्रा सिंह, राज्यमंत्री	गृह, सार्वजनिक निर्माण व पेयजल	जाट	1967–1971
	श्री मनफूल सिंह चौधरी उपमंत्री	राजस्व व कृषि	जाट	1967–1971

राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री श्री बरकतउल्ला खां के समय श्री हरिदेव जोशी (ब्राह्मण) उद्योग, खान व बिजली मंत्री, परसराम मदेरणा (जाट, कृषि व पशुपालन मंत्री), शिवचरण माथुर (वैश्य, शिक्षा,

विद्युत व जनसंपर्क मंत्री) नवल किशोर शर्मा (ब्राह्मण, खाद्य व आपूर्ति मंत्री), चंद्रसिंह (राजपूत, परिवहन व पर्यटन मंत्री), अब्दुल हादी (मुस्लिम, विधि व न्याय मंत्री), गुमानमल लोढ़ा (जैन/वैश्य योजना–आयोजना मंत्री) आदि कैबिनेट व राज्य मंत्री थे। श्री हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उनके मंत्रिमण्डल में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदायों के मंत्री शामिल थे।[28]

राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी स्वयं एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा। श्री हरिदेव जोशी का विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा रहा, कांग्रेस ने श्री हरिदेव जोशी को 11 अक्टूबर, 1973 को मुख्यमंत्री बनाया था। वे 29 अप्रेल, 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार वे 10 मार्च, 1985 से 20 जनवरी, 1988 तक मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार वे 4 दिसंबर, 1989 से 4 मार्च, 1990 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।[29]

क्र. सं.	मुख्यमंत्री/मंत्री	विभाग	जाति/समुदाय	अन्य विवरण
1.	श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग	ब्राह्मण	प्रथम 11 अक्टूबर, 1973 से 29 अप्रेल 1977, द्वितीय 10 मार्च, 1985 से 20 जनवरी, 1988, तृतीय 4 दिसंबर, 1989 से 4 मार्च, 1990 तीन बार मुख्य मंत्री रहे, लेकिन कभी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके।
2.	श्री शिवचरण माथुर (कैबिनेट)	कृषि एवं पशुपालन	ब्राह्मण	1985–1988
3.	श्री हीरालाल देवपुरा (कैबिनेट)	वित्त विभाग	ब्राह्मण	1985–1988
4.	श्री भंवरलाल शर्मा (कैबिनेट)	स्थानीय प्रशासन	ब्राह्मण	1989–1990
5	श्री शांतिलाल धारीवाल (कैबिनेट)	विधि व न्याय एवं अन्य संबंधित विभाग	जैन (वैश्य)	1985–1988
6.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत (कैबिनेट)	गृहमंत्री	राजपूत	1985–1988
7.	श्री रामनारायण चौधरी (कैबिनेट)	परिवहन	जाट	1973–1977
8.	श्री नाथूराम मिर्धा (कैबिनेट)	कृषि व सहकारिता मंत्री	जाट	1985–1990
9.	श्री परसराम मदेरणा (कैबिनेट)	राजस्व, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री	जाट	1985–1988
10.	श्री शीशराम ओला (कैबिनेट)	जलदाय, वन–पर्यावरण व पंचायतीराज	जाट	1980–1990 तक विभिन्न कांग्रेसी सरकारों में
11.	श्री रामकिशन वर्मा (कैबिनेट)	खेल राज्य मंत्री व अन्य स्वतंत्र प्रभार	गुर्जर	1985–1988

12.	श्री रामपाल उपाध्याय (कैबिनेट)	शिक्षा व राज्य स्तर के अन्य प्रशासनिक विभाग	ब्राह्मण	1985—1988

स्रोत : देखें, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली वेबसाइट

श्री भैरोसिंह शेखावत 1977—1980, 1990—1992 और 1993—1998 तक कुल तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनके तीनों मंत्रिमण्डलों में राजपूत, ब्राह्मण, जाट, महाजन/वैश्य एवं अनुसूचित जाति—जनजाति समुदायों के मंत्री शामिल थे, उनके मंत्रिमण्डल में शामिल प्रमुख मंत्रियों का जातिवाद व विभागवार वर्णन निम्नानुसार है :—

क्र. स.	मुख्यमंत्री/मंत्री	विभाग	जाति/समुदाय	कार्यकाल
	श्री भैरोसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार, आयोजना मंत्रिमण्डल सचिवालय, कार्मिक—प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन गृह—वित एवं सामान्य प्रशासन विभाग	राजपूत	22 जून, 1977 से 16 फरवरी, 1980 4 मार्च, 1990 से 15 दिसंबर, 1992 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर, 1998.
	प्रो. केदारनाथ शर्मा	कैबिनेट मंत्री (गृहविभाग)	ब्राह्मण	1977—1980
	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	कैबिनेट मंत्री (सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण और ऊर्जा सहित 8 विभाग) द्वितीय कार्यकाल में शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण व चिकित्सा विभाग)	ब्राह्मण	1977—1980, 1990—1992
	श्री संपत राम	कैबिनेट मंत्री (प्रशासनिक व जनकल्याण)	वैश्य/बनिया	1977—1980
	श्री मास्टर आदित्येन्द्र	कैबिनेट मंत्री (वित्त विभाग)	वैश्य/बनिया	1977—1980
	श्री त्रिलोकचंद्र जैन	कैबिनेट मंत्री (उद्योग)	जैन	1977—1980
	श्री दिग्विजय सिंह	कैबिनेट मंत्री (गृह)	राजपूत	1977—1980
	श्री सूर्यनारायण चौधरी	कैबिनेट मंत्री (विधि व न्याय)	जाट	1977—1980
	श्री माणकचंद सुराणा	कैबिनेट (वित्त)	वैश्य	1977—1980
	श्री कल्याण सिंह कालवी	कैबिनेट मंत्री (कृषि)	राजपूत	1977—1980
	डॉ. हरिसिंह	कैबिनेट मंत्री (जलदाय)	जाट	1977—1980
	श्री जय नारायण पूनिया	कैबिनेट मंत्री (लोकनिर्माण विभाग)	जाट	1977—1980
	श्री नाथूसिंह/नत्थी सिंह	कैबिनेट मंत्री (राजस्व, वन, इंदिरागांधी नहर परियोजना एवं भू—सुधार)	राजपूत	1990—1992

	श्री के. के. गोयल	कैबिनेट मंत्री (उद्योग)	वैश्य / महाजन	1990—1992
	श्री दिग्विजय सिंह	कैबिनेट मंत्री (कृषि)	राजपूत	1990—1992
	श्रीमती सुमित्रा सिंह	कैबिनेट मंत्री (ऊर्जा)	जाट	1990—1992
	श्री मोहन मेघवाल	राज्य मंत्री (सहकारिता)	अनुसूचित जाति	1990—1992
	श्री चुन्नीलाल गरासिया	राज्य मंत्री	अनुसूचित जनजाति	1990—1992
	श्री रमजान खान	राज्य मंत्री (अल्पसंख्यक मामलात)	मुस्लिम	1990—1992
	श्री कालू लाल गुर्जर	राज्य मंत्री (खान विभाग)	गुर्जर	1990—1992
	हरिशंकर भाभड़ा	उप—मुख्यमंत्री	ब्राह्मण	1993—1998
	मदन दिलावर	कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण	अनुसूचित जाति	1993—1998
	नसरू खान	कैबिनेट मंत्री (अल्पसंख्यक मामलात)	मुस्लिम	1993—1998
	रोहिताश्व शर्मा	कैबिनेट मंत्री (परिवहन)	ब्राह्मण	1993—1998
	सुजानसिंह यादव	कैबिनेट मंत्री (सहकारिता)	यादव	1993—1998
	भंवरलाल शर्मा	कैबिनेट मंत्री (शिक्षा, शहरी आवास, अल्पसंख्यक) (इंदिरागांधी नहर परियोजना मंत्री)	ब्राह्मण	1977—1980 1993—1998
	मंगलराम कोली	उप—मंत्री एवं राज्यमंत्री	अनुसूचित जाति	1993—1998
	विद्या पाठक	राज्यमंत्री (पर्यटन)	ब्राह्मण	1977—1980
	महबूब अली	राज्यमंत्री (सूचना एवं जनसंपर्क, वक्फ)	मुस्लिम	1977—1980
	कैलाश मेघवाल	राज्यमंत्री (पंचायत एवं अन्य)	अनुसूचित जाति	1977—1980
	नंदलाल मीणा	राज्यमंत्री (जनजातीय क्षेत्रीय विकास)	अनुसूचित जनजाति	1977—1980

स्रोत : देखें, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली वेबसाइट

1998 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन उपरांत श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, श्री गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकारों और अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर राजस्थान की सभी जातियों को संतुष्ट करने की कोशिश की और अपने मंत्रिमण्डल में सभी जातियों—वर्गों को स्थान देने की पुरजोर कोशिश की, श्री गहलोत राजस्थान के 1998, 2008 एवं 2018 में तीन बार मुख्यमंत्री रहे, उनके तीनों मंत्रिमण्डलों में मंत्री रहे राजनेताओं को उनकी जातिसहित विवरण इस प्रकार से है :—

क्र.म सं.	मुख्यमंत्री / मंत्री	विभाग	जाति	कार्यकाल
1.	श्री अशोक गहलोत	मुख्यमंत्री, गृह, न्याय, वित्त, कार्मिक, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार, आबकारी, योजना, कैबिनेट सचिवालय आदि	माली	1998—2003, 2008—2013, 2018—2023.
2.	बी. डी. कल्ला कैबिनेट मंत्री	स्कूल शिक्षा, पीएचईडी, ऊर्जा, संस्कृत शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरात्व	पुष्करणा ब्राह्मण	1998—2003 2018—2023

3.	शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री	नगरीय विकास व आवासन, गृहविभाग	जैन समुदाय	1998–2003 2008–2013 2018–2023
4.	कमला बेनीवाल कैबिनेट मंत्री	सिंचाई व संस्कृत शिक्षा	जाट	1998–2003
5.	सी. पी. जोशी कैबिनेट मंत्री	ग्रामीण विकास पंचायतीराज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्पीकर	ब्राह्मण	1998–2003 2018–2023
6.	हरेन्द्र मिर्धा कैबिनेट मंत्री	पीडब्ल्यूडी	जाट	1998–2003
7.	गुलाबसिंह शक्तावत कैबिनेट मंत्री	गृह एवं अकाल राहत	राजपूत	1998–2003
8.	बनवारी लाल बैरवा कैबिनेट मंत्री	समाज कल्याण, आयोजन एवं यातायात	अनुसूचित जाति	1998–2003
9.	भीखा भाई भील कैबिनेट मंत्री	श्रम विभाग (बाद में बिना विभाग के कैबीनेट मंत्री	अनुसूचित जनजाति आदिवासी	1998–2003
10.	भोगलाल बकोलिया कैबिनेट मंत्री	परिवहन	अनुसूचित जाति	1998–2003
11.	चंदनमल वैद्य कैबिनेट मंत्री	वित्त	वैश्य	1998–2003
12.	डॉ. चंद्रभान कैबिनेट मंत्री	बिसुका	जाट	1998–2003
13.	खेत सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री	विधि	राजपूत	1998–2003
14.	किशन मोटवानी कैबिनेट मंत्री	राजस्व	सिंधी	1998–2003
15.	प्रद्युमन सिंह कैबिनेट मंत्री	गृह व वित्त	वैश्य (बनिया)	1998–2003
16.	रामसिंह विश्नोई कैबिनेट मंत्री	ऊर्जा	जाट	1998–2003
17.	चौधरी तैयब हुसैन कैबिनेट मंत्री	कृषि	मेव मुस्लिम	1998–2003
18.	जकिया इनाम कैबिनेट मंत्री	चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास	मुस्लिम	1998–2003
19.	रामकिशन वर्मा कैबिनेट मंत्री	खाद्य–नागरिक आपूर्ति	गुर्जर	1998–2003
20.	हेमाराम चौधरी कैबिनेट मंत्री	राजस्व	जाट	2008–2013
21.	महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री	जलदाय	जाट	2008–2013
22.	महेन्द्रजीत मालवीय कैबिनेट मंत्री	जनजातीय क्षेत्रीय विकास	अनुसूचित जनजाति	2008–2013

23.	भरत सिंह	कैबिनेट, पंचायतीराज व ग्रामीण विकास	राजपूत	2008–2013
24.	बी. के. शर्मा कैबिनेट मंत्री	देवस्थान	ब्राह्मण	2008–2013
25.	दुरू मियां कैबिनेट मंत्री	चिकित्सा	मुस्लिम	2008–2013
26.	हरजी राम बुरदक कैबिनेट मंत्री	कृषि एवं पशुपालन	जाट	2008–2013
27.	रामकिशोर सैनी	राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	माली	2008–2013
28.	गोलमा देवी	राज्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग	अनुसूचित जनजाति	2008–2013
29.	डॉ. रघु शर्मा	कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य	ब्राह्मण	2018–2023
30.	लालचंदकटारिया	कैबिनेट मंत्री, कृषि	जाट	2018–2023
31.	प्रमोद जैन भाया	कैबिनेट मंत्री		2018–2023
32.	विश्वेन्द्र सिंह	कैबिनेट मंत्री, पर्यटन	जाट	2018–2023
33.	हरीश चौधरी	कैबिनेट मंत्री	जाट	2018–2023
34.	रमेश चंद्र मीणा	कैबिनेट मंत्री	अनुसूचित जनजाति	2018–2023
35.	प्रताप सिंह खाचरियावास	कैबिनेट मंत्री, परिवहन	राजपूत	2018–2023
36.	उदयलाल आंजना	कैबिनेट मंत्री, सहकारिता	ओबीसी	2018–2023
37.	सालेह मोहम्मद	कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यक	मुस्लिम	2018–2023
38.	गोविंद सिंह डोटासरा	प्राथमिक–माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री	जाट	2018–2023
39.	ममता भूपेश	महिला व बालविकास राज्यमंत्री	अनुसूचित जाति	2018–2023
40.	अर्जुन सिंह बामणिया	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अनुसूचित जनजाति	2018–2023
41.	भंवर सिंह भाटी	कॉलेज शिक्षा राज्यमंत्री	राजपूत	2018–2023
42.	सुखराम विश्नोई	श्रम व वन राज्यमंत्री	विश्नोई	2018–2023
43.	अशोक चांदना	खेल राज्यमंत्री	गुर्जर	2018–2023
44.	टीकाराम जूली	राज्यमंत्री	अनुसूचित जाति	2018–2023
45.	भजनलाल जाटव	राज्यमंत्री	अनुसूचित जाति	2018–2023
46.	राजेन्द्र सिंह यादव	राज्यमंत्री	यादव	2018–2023
47.	सुभाष गर्ग	राज्यमंत्री, आयुर्वेद एवं सूचना व जनसंपर्क	बनिया / वैश्य	2018–2023
48.	बीना काक	राज्य मंत्री, पर्यटन व सांस्कृतिक, महिला बालविकास	महाजन / बनिया	1998–2003 2008–2013
49.	परसादी लाल मीणा	कैबिनेट मंत्री खाद्य आपूर्ति, गृहरक्षा, आबकारी व उद्योग	अनुसूचित जनजाति	1998–2003 2008–2013 2018–2023
50.	हीरालाल इंदौरा	केबिनेट मंत्री खान विभाग	अनसूचित जाति	1998–2003

51.	दीपेन्द्र सिंह शेखावत	कृषि राज्य मंत्री	राजपूत	1998–2003
52.	दयाराम परमार	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अनुसूचित जनजाति	1998–2003
53.	राजेन्द्र चौधरी	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	जाट	1998–2003
54.	डॉ. जितेन्द्र सिंह	राज्य मंत्री प्राथमिक–माध्यमिक शिक्षा	जाट	1998–2003
55.	मास्टर भंवरलाल मेघवाल	राज्य मंत्री पंचायती राज व खेल, ग्रामीण विकास पंचायतीराज, आबंदा प्रबंधन व सामाजिक न्याय व अधिकारिता	अनुसूचित जाति	1998–2003 2008–2013 2018–2023
56.	अब्दुल अजीज	राज्य मंत्री शिक्षा	मुस्लिम	1998–2003
57.	चंद्रशेखर	राजस्व राज्य मंत्री	————————	1998–2003
58.	हरि सिंह कुम्हेर	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	जाट	1998–2003

स्रोत : देखें, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली वेबसाइट

राजस्थान की राजनीति की विशेष बात यह है कि यहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दल की प्रधानता वाली सरकार रही, किंतु 1967 जो भारतीय राजनीति का महान् विभाजक वर्ष रहा, उसमें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की स्थिति रही, किंतु फिर भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, इसके बाद 1977 में परिस्थितियां कुछ भिन्न हुईं और 1990 से राजस्थान में द्वि–दलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ, भैरांसिंह सिंह शेखावत की सरकार के उपरांत राजस्थान में 1998 से लगातार एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्रम आरंभ हुआ और यह क्रम आज चला आ रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार 2003 में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनीं तदुपरांत वे 2008 में सत्ता में वापिसी नहीं कर पाईं, उनकों 2013 में पुनः मुख्यमंत्री के रूप में अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल में सभी जातियों–समुदायों को स्थान देने की कोशिश की ताकि राजस्थान के संपूर्ण समुदायों को साथ लेकर चला जा सके, उनके मंत्रिमण्डल का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मुख्यमंत्री–मंत्री	विभाग	जाति	कार्यकाल
1.	श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री	वित्त एवं कराधान, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत निवारण, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो,	राजपूत	2003–2008 2013–2018
2.	गुलाबचंद कटारिया	केबिनेट, गृह न्याय, आपदा प्रबंधन एवं राहत, कारागार, गृह एवं नागरिक सुरक्षा	जैन	2003–2008 2013–2018
3.	घनश्याम तिवारी	केबिनेट, खाद्य व नागरिक आपूर्ति	सवर्ण ब्राह्मण	2003–2008
4.	सांवरलाल जाट	केबिनेट, सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पीएचईडी	जाट	2003–2008
5.	किरोड़ीमल मीणा	केबिनेट, खाद्य एवं आपूर्ति	एसटी	2003–2008
6.	मदन दिलावर	केबिनेट, समाज कल्याण	खटीक, अनुसूचित जाति	2003–2008
7.	नरपत सिंह राजवी	केबिनेट, चिकित्सा व स्वास्थ्य, परिवार कल्याण उद्योग, श्रम व रोजगार	राजपूत (क्षत्रिय)	2003–2008
8.	यूनुस खान	केबिनेट, परिवहन, युवा व खेल लोकनिर्माण व परिवहन	मुस्लिम	2003–2008

				2013—2018
9.	कनकमल कटारा	केबिनेट, महिला व बालविकास, जनजातीय क्षेत्र विकास एवं जनजातीय विकास	आदिवासी(भील)	2003—2008
10.	प्रभुलाल सैनी	केबिनेट, कृषि, पशुपालन कृषि, मत्स्यपालन उद्यान	माली, ओबीसी	2003—2008 2013—2018
11.	लक्ष्मीनारायण दवे	केबिनेट, वन, पर्यावरण खानें	ब्राह्मण	2003—2008
12.	डॉ. दिगम्बर सिंह	केबिनेट, इंडस्ट्रीज	जाट	2003—2008
13.	राजेन्द्र सिंह राठौड़	केबिनेट, लोकनिर्माण संसदीय मामले, ग्रामीण विकास व पंचायतीराज व संसदीय कार्य	राजपूत	2003—2008 2013—2018
14.	रामनारायण	केबिनेट, राजस्व, सैनिक कल्याण	जाट	2003—2008
15.	कालूलाल गुर्जर	केबिनेट, ग्रामीण विकास मुख्य सचेतक	गुर्जर	2003—2008 2013—2018
16.	नाथूसिंह गुर्जर	केबिनेट मंत्री, सहयोगी	गुर्जर	2003—2008
17.	रामकिशोर मीणा	केबिनेट, श्रम	मीणा	2003—2008
18.	नंदलाल मीणा	केबिनेट, जनजतीय क्षेत्र विकास	मीणा	2003—2008 2013—2018
19.	कालीचरण सराफ	केबिनेट, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद व चिकित्सा पद्धति	वैश्य	2003—2008 2013—2018
20.	देवी सिंह भाटी	केबिनेट मंत्री	राजपूत	2003—2008
21.	प्रताप सिंह सिंघवी	स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री, जंगल	जैन	2003—2008
22.	सुरेन्द्र गोयल	स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री शहरी विकास और आवास, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, भूजल	बनिया/वैश्य	2003—2008 2013—2018
23.	अमराराम चौधरी	राज्यमंत्री, घर राजस्व राज्य मंत्री	जाट	2003—2008 2013—2018
24.	बाबूलाल वर्मा	राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास व पंचायतीराज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले		2003—2008 2013—2018
25.	भवानी जोशी	राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	ब्राह्मण	2003—2008
26.	सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी	कृषि राज्यमंत्री	सिक्ख	2003—2008
27.	उषा पूनिया	राज्यमंत्री, पर्यटन, कला—संस्कृति, देवस्थान विभाग	जाट	2003—2008
28.	वासुदेव देवनानी	राज्यमंत्री, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा, तकनीकी शिक्षा	सिंधी	2003—2008

		केवल प्राथमिक–माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री		2014–2018
29.	सुरेन्द्र सिंह राठौड़	सिंचाई राज्यमंत्री	राजपूत	2003–2008
30.	खेमाराम मेघवाल	खान राज्यमंत्री	अनुसूचित जाति	2003–2008
31.	गजेन्द्र सिंह खीवसर	ऊर्जा राज्यमंत्री वन, पर्यायवरण, युवा मामले एवं खेल	राजपूत	2003–2008 2013–2018
32.	चुन्नीलाल धाकड़	राज्यमंत्री (स्वतंत्र)	धाकड़	2003–2008
33.	वीरेन्द्र मीणा	राज्यमंत्री (स्वतंत्र)	मीणा	2003–2008
34.	किरण माहेश्वरी	केबिनेट मंत्री तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी	माहेश्वरी	2013–2018
35.	रामप्रताप साहू	केबिनेट मंत्री, जलसंसाधन, इंदिरा गांधी नहर	तेली	2013–2018
36.	राजपाल सिंह शेखावत	केबिनेट मंत्री, उद्योग, एनआरआई, सार्वजनिक उद्यम, डीएमआईसी	राजपूत	2013–2018
37.	अरूण चतुर्वेदी	केबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक मामले, वक्फ	ब्राह्मण	2013–2018
38.	हेमसिंह भडाना	केबिनेट मंत्री, राजस्थान राज्य मोटर गैराज, सामान्य प्रशासन, संपदा, मुद्रण, स्टेशनरी	गुर्जर	2013–2018
39.	श्रीचंद कृपलानी	स‍ केबिनेट मंत्री, वायत्त निकाय, शहरी विकास और आवास	सिन्धी	2013–2018
40.	जसवंत सिंह यादव	केबिनेट मंत्री, श्रम–रोजगार, कारखाने एवं बॉयलर निरीक्षण	यादव	2013–2018
41.	पुष्पेन्द्र सिंह	ऊर्जा राज्य मंत्री	राजपूत	2014–2018
42.	ओटाराम देवासी	पशुपालन–दुग्ध उत्पादन राज्य मंत्री	रेबारी	2014–2018
43.	अर्जुन लाल गर्ग	विधि एवं संसदीय मामले राज्य मंत्री	अनुसूचित जाति	2014–2016
44.	धनसिंह रावत	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व संसदीयकार्य राज्यमंत्री	अनुसूचित जनजाति	2016–2017
45.	बंशीधर बाजिया	स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण राज्य मंत्री	जाट	2016–2018
46.	कमसा मेघवाल	जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री	अनुसूचित जाति	2016–2018

स्रोत : देखें, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली वेबसाइट

2018–2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के उपरांत एकबार पुनः सत्ता का परिवर्तन हुआ और राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राजस्थान में सरकार परिवर्तित होने के बाद राजे के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विश्वासपात्र श्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, उनके मंत्रिमण्डल में उनके द्वारा विभिन्न जातियों व समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया जिसका वर्णन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मुख्यमंत्री–मंत्री	विभाग	जाति	कार्यकाल
	श्री भजनलाल शर्मा (मुख्यमंत्री)	कार्मिक, आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति–निर्धारण, सूचना एवं जनसंपर्क, एसीबी	ब्राह्मण	2023–वर्तमान समय तक
	दिया कुमारी (उप–मुख्यमंत्री)	वित्त, पर्यटन, कला–संस्कृति, पुरातत्व विभाग, महिला व बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग	राजपूत	2023–वर्तमान समय तक
	प्रेमचंद बैरवा उप–मुख्यमंत्री	तकनीकि शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी पद्धति चिकित्सा, होम्योपैथी विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	अनुसूचित जाति	2023–वर्तमान समय तक
	डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, कैबिनेट मंत्री	कृषि व उद्यानिका, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण	अनुसूचित जनजाति	2023–वर्तमान समय तक
	गजेन्द्र सिंह खींवसर	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं	राजपूत	2023–वर्तमान समय तक
	कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री	उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन व उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग	राजपूत	2023–वर्तमान समय तक
	मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री	पंचायतीराज विभाग, स्कूली शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग	खटीक	2023–वर्तमान समय तक
	कन्हैया लाल चौधरी, कैबिनेट मंत्री	भूजल एवं पीएचईडी विभाग	जाट	2023–वर्तमान समय तक
	जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री	संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य, विधि परामर्श कार्यालय व न्याय विभाग	पाटीदार / चौधरी	2023–वर्तमान समय तक
	सुरेश सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री	जल संसाधन, जल संसाधन आयोजना विभाग	रावत राजपूत समुदाय	2023–वर्तमान समय तक
	अविनाश गहलोत, कैबिनेट मंत्री	सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	माली	2023–वर्तमान समय तक

	सुमित गोदारा	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले	जाट	2023– वर्तमान समय तक
	जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री	पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग	कुमावत	2023– वर्तमान समय तक
	बाबूलाल खराड़ी, कैबिनेट मंत्री	जनजाति क्षेत्रीय विकास व गृहरक्षा विभाग	अनुसूचित जनजाति	2023– वर्तमान समय तक
	हेमंत मीणा कैबिनेट मंत्री	राजस्व, उपनिवेशन विभाग	मीणा	2023– वर्तमान समय तक
	ओटाराम देवासी राज्यमंत्री	पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा विभाग	रायका/रेबारी	2023– वर्तमान समय तक
	डॉ. मंजू बाघमार, राज्य मंत्री	सार्वजनिक निर्माण, महिला व बालविकास, बाल अधिकारिता	अनुसूचित जाति	2023– वर्तमान समय तक
	विजय सिंह चौधरी, राज्य मंत्री	राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण	जाट	2023– वर्तमान समय तक
	जोरावर सिंह बेढम, राज्यमंत्री	गृह, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य विभाग	गुर्जर	2023– वर्तमान समय तक
	सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	कृषि विपणन, कृषि सिचिंत क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर, अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ बोर्ड	जट सिक्ख	2023– वर्तमान समय तक
	संजय शर्मा, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन	ब्राह्मण	2023– वर्तमान समय तक
	झाबर सिंह खर्रा, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग	जाट	2023– वर्तमान समय तक

स्रोत : हिंदुस्तान, 30 दिसंबर, 2023

पहचान की राजनीति के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमण्डलों के गठन में पहचान तत्व ने अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों और पहचान की राजनीति का सीधा संबंध जातीय समीकरणों, सामाजिक कल्याण बोर्ड और स्थानीय निकाय व पंचायत चुनावों से है। राजस्थान की प्रत्येक पूर्ववर्ती सरकार में विभिन्न बोर्डों, आयोगों और निगमों में नेताओं के समायोजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें विभिन्न जातियों व समुदायों की नुमांइदगी को नेतृत्व मिले का ध्यान रखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है, फरवरी, 2022 में कांग्रेसी नेता अर्चना शर्मा (ब्राह्मण) को इस पद

पर नियुक्ति किया गया था। सरकारें विभिन्न वर्गों जैसे महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति–जनजाति आदि के संतुलन को ध्यान में रखकर राजनीतिक नियुक्तियां करती है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व देना होता है।[30]

राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न बोर्ड, आयोग व निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों के समय जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और दलीय व गुटबाजी संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता रहा है, इन नियुक्यिों में प्रत्यक्ष–परोक्ष रूप से पहचान की राजनीति कार्य कर रही है। राजस्थान का इतिहास उठाकर देखने से ज्ञात होता है कि चुनावों से पहले और बाद में विभिन्न जातियों जैसे जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, एसटी, एससी और ओबीसी को संतुष्ट करने के नाम पर बोर्ड बनाकर नेताओं को पद दिए जाते रहे है। विशिष्ट समुदायों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी पहचान के आधार पर अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दल के नाराज और प्रत्यक्ष चुनाव में पराजित नेताओं को संतुष्ट करने के लिए भी ऐसे नेताओं को इन निगमों व आयोगों का चेयरमैन बनाकर चुप कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सत्तारूढ़ दल के अलग–अलग क्षत्रपों या गुटों के मध्य शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए इन पदों को वितरण किया जाता है।[31]

इसके अतिरिक्त राजस्थान में विभिन्न सरकारों जैसे श्री अशोक गहलोत और वसुधरा राजे सरकारों ने विभिन्न महापुरूषों और समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी जयंतियों और विशेष दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए, ताकि विभिन्न जाति समूहों को साधा जा सके और उन तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि सरकारें उनके मुखियाओं, देवी–देवताओं का सम्मान करती है और उनकी भावनाओं की कद्र करती है। वर्ष 2018 में वसुंधरा राजे सरकार ने ब्राह्मण समुदाय से जुड़े भगवान श्री परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।[32] श्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2019 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर आदिवासी, भील, मीणा समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। इसी तरह गुर्जर समुदाय के भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर 28 जनवरी 2023 को गहलोत सरकार ने संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इसी तरह गहलोत सरकार ने सैनी/शाक्य/कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करने के लिए वर्ष 2023 में 11 अप्रेल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।[33]

निष्कर्ष –

समग्रतः यह कह सकते है कि राजस्थान में पहचान की राजनीति हाशिए पर पड़े हुए लोगों के विकास के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। राजस्थान में पहचान की राजनीति मुख्य रूप से जाति, क्षेत्रीय अस्मिता और सामाजिक समूहों के इर्द–गिर्द घूमती रहती है। पहचान की राजनीति ने राजस्थान के उपेक्षित समुदायों को राजनीतिक मंच और अधिकार तो दिलवाए हैं, लेकिन इससे सामाजिक ध्रुवीकरण भी गहरा हुआ है। दुर्भाग्य है कि पहचान की राजनीति को राजनीतिक दलों द्वारा हवा दिए जाने के कारण विकास और सुशासन के मुद्दे जातिगत और भावनात्मक अस्मिताओं के पीछे छिप गए हैं। मारवाड़, मेवाड़, ढूढ़ाड़, हाड़ौती, शेखावटी जैसी क्षेत्रीय उप–पहचान ने अपनी अलग संस्कृति व राजनीति को जन्म दिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में रहने वालों ने अपनी अलग आदिवासी पहचान को उभारा है, इस उभरी आदिवासी पहचान के पीछे भारत आदिवासी पार्टी एवं भारतीय ट्राइबल पार्टी का हाथ है। राजस्थानियों की अपनी अलग–अलग पहचान की स्वीकृति का राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लाभ उठाया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब की एक ही पहचान है कि हम सभी भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।

संदर्भ

1. चार्ल्स टेलर ने पहचान की राजनीति की अवधारणा अपने प्रसिद्ध निबंध और पुस्तक **"मल्टीकल्चरलिज्म एण्ड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन"** में दी है। यह मूलरूप से 1992 में एक निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसे बाद में 1994 में पुस्तक के रूप में संकलित किया गया।
2. विजय भंडारी, **राजस्थान की राजनीति : सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में,** वाणी प्रकाशन, 2021, नई दिल्ली, पृ. 15–27.
3. **पहचान की राजनीति शब्द की खोज अश्वेत नारीवादी बारबरा स्मिथ ने 1970 के दशक में की।**

4. **एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार** पहचान की राजनीति में "किसी नस्लीय, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक या लैंगिक समूह द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधि जिसमें समूह के सदस्य अपनी विशिष्ट पहचान और भेदभाव जैसे साझा अनुभवों के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व व समानता की मांग करते हैं।"
5. H. Srikanth, **"Identity Politics and its conservative critics" Economic and Political Weekly,** Vol. 38, Issue no. 24, 14th June, 2003, p 135, Mumbai.
6. राजस्थान 19 देशी रियासतों और ठिकानों में बंटा हुआ था।
7. **26वां संवैधानिक संशोधन, 1971.**
8. **टाइम्स ऑफ इण्डिया,** 10 जनवरी 2026.
9. "करणी सेना इश्यूस थ्रैट ओवर कटारियास् रिमार्कस् ऑन महाराणा प्रताप" **द इंडियन एक्सप्रेस,** 14 अप्रैल, 2021.
10. **मारवाड़ किसान आंदोलन** मुख्य रूप से जयनारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा व मारवाड़ लोकपरिषद् के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन अत्यधिक लगान (बिगोड़ी), 136 प्रकार के करों, बेगार प्रथा और जागीरदारी अत्याचारों के खिलाफ था।
11. **सीकर किसान आंदोलन** मुख्य रूप से 1922 ई. में शुरू हुआ, जो बाद में 1930 के दशक तक शेखावटी क्षेत्र में फैला और 25 अप्रैल, 1935 के प्रसिद्ध कूदन कांड के साथ एक अहम् मोड़ पर पहुंचा, आंदोलन अत्यधिक लगान और बेगार प्रथा के विरूद्ध किया।
12. **ढूंढाड़ राजस्थान की सत्ता को प्राप्त करने का केन्द्र** है। कछवाह वंश का उदय 1137 ई. में हुआ, यही कछवाह वंश आमेर और जयपुर रियासत के रूप में सबसे अधिक शक्तिशाली बने, इन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित किए और शक्तिशाली बने।
13. **एबीपी न्यूज लाइव (डिजीटल)** 29 अक्टूबर, 2023.
14. वही, उपर्युक्त 13.
15. **हाड़ौती क्षेत्र को भाजपा व जनसंघ की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है।**
16. "राजस्थान की अल्पख्यात सहरिया जाति," **दक्षिण कोसल टुडे** (डिजीटल) 26 अक्टूबर, 2025.
17. **10 सितंबर, 2023 को डूंगरपुर में भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना** हुई, जो भील प्रदेश की मांग और जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थों के पारंपरिक अधिकार की विचारधारा पर टिकी हुई है।
18. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला प्रभावशाली सामाजिक–राजनीति नेता एवं भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जिन्हें गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जनक व पटरीवाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है।
19. डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा **"राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन"** राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2001 पृ. 21–175.
20. "सीकर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा आरक्षण मंच द्वारा सवर्ण आरक्षण के लिए प्रदर्शन" राजस्थान पत्रिका, 25 नवंबर, 2002.
21. राजस्थान के पाली जिले के सोजत रोड पर 4 सितंबर, 2023 को घटित एक घटना जिसमें बजरंग दल द्वारा त्रिशूल बांटे गए एवं हिदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया गया और भारत को हिंदूवादी राष्ट्र बताया गया, इसी तरह जोधपुर, लोहवात और बालेसर क्षेत्रों में दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा त्रिशूल वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से धार्मिक पहचान को मुखर करने और बहुसंख्यकवाद की राजनीति को बढ़ावा देने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया।
22. **द हिंदू,** 13 अप्रैल, 2025.
23. टी. के. राजलक्ष्मी, "राजस्थान का धर्मांतरण विरोधी कानून : संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला" **फ्रंटलाइन,** 23 मार्च, 20025.
24. **एबीपी न्यूज (डिजीटल)** सुप्रीम कोर्ट के मई, 2026 के आदेश के बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने का आदेश पारित किया था। कोर्ट का यह आदेश मातृभाषा आधारित शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करता है।

25. डॉ. गिरीश सिंह, रोल ऑफ कॉस्ट्स् इन पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन आर्टस्, साइंस, इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेण्ट,** वोल्यू. 5, इश्यू 1, जनवरी, 2018, पृ. 1667–1671.
26. **भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर–किसान शक्ति संगठन, आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, एनएसयूआई, बेरोजगार एकीकृत महासंघ** जैसे किसान, श्रमिक एवं युवाओं से संबंधित आर्थिक व नागरिक दबाव समूह राजस्थान में पहचान की राजनीति का संचालन करते हैं।
27. सनीसेबेस्टियन, जमींदारा पार्टी का उदय, **इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,** वोल्यू. 49, अंक 14, 05 अप्रैल, 2014.
28. **द टाइम्स ऑफ इण्डिया,** 13 दिसंबर, 2023.
29. **एनडीटीवी (डिजीटल)** राजस्थान, 13 दिसंबर, 2023.
30. **नवभारत टाइम्स,** 28 फरवरी, 2022.
31. **द इकनॉमिक्स टाइम्स,** 12 नवंबर, 2021 एवं **दैनिक भास्कर** 26 अक्टूबर, 2025.
32. **टाइम्स ऑफ इण्डिया** 12 अप्रेल, 2018.
33. **एबीपी न्यूज (डिजीटल)** 10 अप्रैल, 2023.

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

RESEARCH GATEWAY

AROGYAM ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध
ISSN 2321 – 9726
WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY
ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)
WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE
ISSN 2319 – 9202
WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES
ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)
WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY
ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION
ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM